30/6/17 आज यह पत्रावली फैमिली कोर्ट बच्चागा में पेश हुई प्रार्थी का वाद निर्णय हो चुका है अब इस प्रार्थना पत्र को आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर खात्मे तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय फैमिली कोर्ट में लिखाया व सुनाया गया।

Scanned by CamScanner